उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग.2

संख्या-क0नि0-2-722/ग्यारह-9(52)/15-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(132)/2015

दिनांकः 29 मई, 2015

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5, सन् 2008 की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची एक में दिनांक 30 मई, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं

<u>संशोधन</u>

उक्त अनुसूची एक में क्रम संख्या 6 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगीए अर्थात्ः.

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
6	पान का पत्ता तैयार या बिना तैयार पान : गुलकन्द

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)

प्रमुख सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in/